न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अजमेर

रिमाण्ड प्रकरण सं0 15/2007

1. श्रीमती आपू बेवा कम्मा
2. श्री विजय सिंह पुत्र कम्मा
3. श्री पीथा सिंह पुत्र कम्मा
4. श्री मोती सिंह पुत्र कम्मा
5. श्री उगम सिंह पुत्र कम्मा
6. श्री प्रेम सिंह पुत्र कम्मा
7. श्रीमती केसी पुत्री कम्मा
8. श्रीमती मीरा बेवा मोहन सिंह
9. श्रीबलवीर सिंह पुत्र मोहन सिंह
10. सुनिता पुत्री मोहन सिंह
11. अनिता पुत्री मोहन सिंह
12. श्री मल्ला पुत्र गम्भीरा
13. श्री बालू पुत्र गम्भीरा
14. श्री गोपाल पुत्र गम्भीरा
15. श्री दुर्गा पुत्र गम्भीरा

समस्त जाति रावत निवासीगण परबतपुरा तहसील व जिला अजमेर।

......अपीलान्ट

बनाम

1. श्री नाथू पुत्र कालू जाति यादव निवासी परबतपुरा तहसील/जिला, अजमेर (मृतक) जरिये वारिसान
   1. श्रीमती बिरदी बेवा नाथू
   2. श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र नाथू
   3. श्री सायर सिंह पुत्र नाथू
   4. श्री सोहन सिंह पुत्र नाथू
   5. श्री किशन सिंह पुत्र नाथू
   6. श्री मदन सिंह पुत्र नाथू
   7. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र नाथू
   8. मानी कंवर पुत्री नाथू

......रेस्पोडेन्ट

तहसीलदार, अजमेर

Scanned with CamScanner

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः–

1. श्री .... अभिभाषक (अपीलान्ट)
2. श्री ....अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय

दिनांकः– ....

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है–

ग्राम परबतपुरा के आराजी खसरा नं0 400 रकबा 00–02–00 बीघा एवं खसरा नं0 401 रकबा 00–03–00 बीघा के सह खातेदार काश्तकार श्री कम्मा वल्द करणा व श्री गमीरा वल्द रूपा रावत की मृत्यु हो जाने पर नायब तहसीलदार, अजमेर प्रथम द्वारा सेक्टर शिविर गगवाना में दिनांक 24.05.2002 को मृतकों के वारिसान के नाम विरासत का नामान्तरकरण संख्या 73 इस आधार पर स्वीकार किया कि "खसरा नं0 401 पूर्व में श्री भोला पुत्र धर्मा रावत द्वारा नाथू पुत्र कालू को विक्रय कर उक्त भूमि पर कब्जा वर्तमान रेकॉर्ड अनुसार दर्ज खातेदार का न होकर उस क्रेता (नाथू पुत्र कालू) का है। खसरा नं0 401 का स्वामित्व व कब्जा विवादास्पद होने से नवीन इन्द्राज अस्वीकार है"। खसरा नं0 400 पर मृतक खातेदार के वारिसान के नाम नवीन इन्द्राज करने के आदेश दिये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 24.05.2002 से अप्रसन्न होकर एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रकरण संख्या 11/2005 उनवान श्रीमती आपू बेवा कम्मा वगैरह बनाम नाथू वगैरह दायर की गई।

माननीय न्यायालय ने उक्त प्रकरण में निर्णय दिनांक 17.10.2006 अभिभाषक अपीलान्ट के कथन "पुश्तैनी आराजियात में विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक करते समय कब्जा होना आवश्यक हो" से सहमत होकर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2002 निरस्त कर पत्रावली इस न्यायालय को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड की गई कि–अपीलान्टस को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक अन्य अपील संख्या 138/2006 उनवान नाथू पुत्र कालू वगैरह बनाम आपू बैव कम्मा वगैरह अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर में दायर की जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2011 को पारित निर्णय के अनुसार अपीलान्ट (नाथू पुत्र कालू) की अपील सारहीन होने के कारण अस्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय (अपर कलक्टर, अजमेर) का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2006 यथावत् कायम रखा।

अतः माननीय न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर के निर्णय दिनांक 17.10.2006 की पालना में प्रकरण दर्ज किया जाकर सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस आदि जारी किये गये एवं पटवारी हल्का परबतपुरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई।

तहसीलदार 2, अजमेर

Scanned with CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 28.12.72 के अनुसार विकेता भोला पुत्र धर्मा रावत ने केता नाथू पुत्र कालू रावत को ग्राम परबतपुरा की जो भूमि बेचान की उसका विवरण निम्न प्रकार है–

नाम ग्राम	खाता नं0		खसरा नं0		कुल रकबा एवं किस्म
	पुराना	नया	नया	पुराना	
परबतपुरा	56	55	394 396 397	413 415	02–19–00 बा0 2

चौसाला ख0न0 413, 415 रकबा 02–19–00 बीघा के वर्किंग ख0न0 394, 396, 397, 393, 401 बने है। जिनके हाल ख0न0 539/687, 544, 545, 546 बने हैं जो अन्तिम चोसला आधार सं0 2071–74 जमाबंदी 2076 वर्ष 2019 से स्थायी में नाथू पुत्र कालू रावत के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रकरण ग्राम परबतपुरा के खसरा नं0 401 के स्वामित्व व कब्जे के सम्बन्ध में है जिसके हाल ख0न0 539/688 रकबा 0.04 जो ख0न0 400 रकबा 0.02 व ख0न0 401 रकबा 0.02 से बना है। ख0न0 539/688 का आंशिक भाग जो ख0न0 400 है वह वर्तमान में रिको (RIICO) के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं शेष बचा ख0न0 539/688 रकबा 0.02 किस्म बारानी–2 हाल रिकॉर्ड में अपीलान्ट आपू पत्नी कम्मा वगैरह के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है।

इस प्रकार प्रकरण में विवादित ख0न0 401 वर्तमान ख0न0 539/688 रकबा 0.02 किस्म बारानी–2 हाल रिकॉर्ड में अपीलान्ट आपू पत्नी कम्मा वगैरह के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड होने से प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा की गई अपील में अब किसी प्रकार की कार्यवाही शेष नहीं रहती है। पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलान्ट को रिकॉर्ड अनुसार कब्जा सम्भला कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 17/9/2020 को सुनाया गया।

(प्रीति चौहान)
तहसीलदार एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned with CamScanner